मो0 तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–01.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रशाखा–13 से संबंधित मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय को समर्पित नहीं किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण मासिक लेखा के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

श्री उदय कान्त चौधरी, अवर सचिव, सदस्य
श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, सदस्य
श्री विनोद कुमार नगवंशी, प्रशाखा पदाधिकारी–13, सदस्य

1. **ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा ससमय समर्पित नहीं किये जाने तथा कार्य प्रमण्डलों द्वारा समर्पित मासिक लेखा जो त्रुटिपूर्ण है, उसके निराकरण हेतु एवं कार्य प्रमण्डलों के लेखा में दिनांक–31.03.19 तक उपलब्ध सत्यापित अंतशेष के CFMS में प्रविष्टी से संबंधित मामले के संबंध में विभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता–4 के अध्यक्षता में बैठक की गई।**

2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दानापुर/झाझा/भभुआ/ मुजफ्फरपुर पश्चिम/बक्सर/बारसोई/नरकटियागंज/बेगूसराय/ जगदीशपुर/मुंगेर/ सुपौल/ खगड़िया/लखिसराय/समस्तीपुर/ दलसिंहसराय/ मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/ महनार/मुजफ्फरपुर पूर्वी–2/ डुमरॉव/ शेखपुरा/ नवगछिया/ मधुबनी/ अग्रीम योजना प्रमंडल–2 पटना/ भागलपुर/ किशनगंज–2/रक्सौल/हाजिपुर/पीरो/ छपरा–2/ बाढ़/ सीतामढ़ी/ महुआ/ मनीहारी/रजौली/ क्षेत्रीय प्रयोगशाला पटना/ जमुई/ सहरसा/ सोनपुर/ बिहारसरीफ/ औरंगाबाद/ रोसड़ा एवं दाउदनगर द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से **लेखा में दिनांक–31.03.19 तक उपलब्ध सत्यापित अंतशेष के CFMS में प्रविष्टि से संबंधित** सत्यापन कराया गया है। जिसे विभागीय पत्रांक–6841 अनु0 दिनांक–23.09.19 द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज–2, बेनीपट्टी, हिलसा, मसौढ़ी, बेनीपुर, चकिया, कहलगॉव, उदाकिशुनगंज, मढ़ौरा, गोपालगंज–1, कटिहार, हथुआ, छपरा–1, मधेपुरा, दरभंगा–1, तेघड़ा, विरौल, पालीगंज, त्रिवेणीगंज एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ से संबंधित सत्यापित प्रति भी विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसे वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

संदर्भित मामले में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटना, हरनौत, राजगीर, सासाराम–1, सासाराम–2, डिहरी, विक्रमगंज, मोहनियॉ, आरा, गया, टिकारी, शेरघाटी, इमामगंज, नीमचक–बथानी, नवादा, जहानाबाद, अरवल, बांका–1, बांका–2, खड़गपुर–तारापुर, सिमरी–बख्तियारपुर, गोगरी, वीरपुर, पूर्णियाँ, धमदाहा, वायसी, अररिया, फारबीसगंज, सिवान–1, सिवान–2, महाराजगंज, पुपरी, बेलसंड, शिवहर, मोतिहारी, अरेराज, ढाका, पकड़ीदयाल, बेतिया, बगहा–1, बगहा–2, दरभंगा–2, जयनगर, फुलपरास, झंझारपुर, पटोरी, बलिया, मंझौल–बखरी, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, अग्रिम योजना प्रमण्डल–1, पटना एवं अग्रिम योजना प्रमण्डल–3, पटना को पुनः निदेश दिया जाता है कि कार्य प्रमण्डलों द्वारा जमा प्रतिभूति आदि विभिन्न मदों में जमा कटौती की गयी राशि का दिनांक–31.03.2019 तक का अंतशेष सत्यापन महालेखाकार (ले0 एवं

ह0) कार्यालय, बिहार, पटना से नहीं कराया गया है अंतशेष सत्यापन कराते हुए सत्यापित प्रति के साथ सूचना विभाग को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र र 0–8719 दिनांक–30.11.2018 से प्राप्त पत्र जो **कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 / मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं सिवान–1** से संबंधित है जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के पत्रांक–979 दिनांक–31.07.19, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के पत्रांक–01, कैम्प, पटना दिनांक–01.08.19 द्वारा अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। जिसमें साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया था कि इस मामले के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जो कि अभी तक अप्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सिवान–1 द्वारा इस मामले में अपना कोई भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण निदेश दिया जाता है कि अपने स्पष्टीकरण के साथ सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **विदित हो कि कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम अन्तर्गत एक पदाधिकारी जिन्हे 5.14860 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है। कार्य प्रमण्डल, सिवान–1 अन्तर्गत एक पदाधिकारी जिन्हे 3. 03896 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है तथा कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 अन्तर्गत पॉच पदाधिकारी जिन्हे 3.22750 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, लंबित है। संदर्भित मामले में पुनः निदेश दिया जाता है कि इस मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

4. उप महालेखाकार, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–130 दिनांक–24.05.19 द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति अनुलग्न सहित संलग्न करते हुए कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्य प्रमण्डलों एवं कार्यालय को मासिक लेखाओं पर उठायी गयी लेखा परीक्षा आपत्तियों का समूचित एवं बिन्दूवार अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्रेषित किये जाने का निदेश दिया गया था तथा विगत दस वर्षो से लंबित आपत्तियों की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की गई थी। जिसके आलोक में कार्य प्रमण्डलों के स्तर से की गयी कार्रवाई की सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो खेदजनक है। कृत कार्रवाई से तीन दिनों के अन्दर विभाग को अवगत कराया जाय।

5. ससमय मासिक लेखा का निराकरण नहीं होने के कारण सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि **बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 542 के निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य विभाग का मासिक लेखा आगामी माह की 10वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाना है।** इस संबंध में विभागीय स्तर से निरन्तर सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया जाता रहा है। तथापि कई कार्य प्रमण्डलों द्वारा लंबित मासिक लेखा का निराकरण नहीं किया जाना खेदजनक है। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा का निराकरण तीन दिनों के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय। संदर्भित मामले में अगली बैठक मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में.

अगले माह के दिनांक–05.11.19 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में इसकी समीक्षा की जायेगी। सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिन कार्यपालक अभियंता / प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा उक्त बैठक में भाग नहीं लिया गया, उन्हे निदेश दिया जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को निश्चित रूप से तीन दिनों के अन्दर समर्पित करते हुए उक्त बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन / स्पष्टीकरण के साथ भाग लेना सुनिश्चित किया जाय। दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले कार्य प्रमण्डलों के पदाधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

01/10/19

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 7076 पटना, दिनांक– 01.10.19

प्रतिलिपिः– सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0: यथोक्त।

01/10/19

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 7076 पटना, दिनांक– 01.10.19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0 / श्री उदय कान्त चौधरी, अवर सचिव / श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, एवं श्री विनोद कुमार नागवंशी, प्रशाखा पदाधिकारी–13, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/19

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 7076 पटना, दिनांक– 01.10.19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/19

मुख्य अभियंता–4